

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी०ए० केश नं०- 01 / 17-18

नीता चौबे बनाम् रैयान मौजा-रंगाईचक

(9)

18

:- आदेश :-

वर्तमान प्रक्रिया आवेदिका नीता चौबे, पति-इन्द्रदेव चौबे, सा०-रंगाईचक, अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा के आवेदन पर मौजा-रंगाईचक नं०-167 का प्रधान बहाली हेतु प्रारंभ किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का आवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने अपने पत्रांक-230/रा०, दिनांक-11.05.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका नीता चौबे मौजा-रंगाईचक, जमाबंदी नं०-3 के खतियानी रैयत काशीनाथ चौबे की पौत्रवधु है। आवेदिका पूर्व प्रधान की वंशज नहीं है। वर्तमान में मौजा खास है। आवेदिका नीता चौबे, पति-इन्द्रदेव चौबे को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 5 के तहत मौजा-रंगाईचक के प्रधान बहाली हेतु अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के अनुशंसा के आलोक में डी०बी० नं०-206/रा०न्या०, दिनांक-10.11.2018 के द्वारा 16आना रैयतों को नोटिस तामिला कराकर आपत्ति की मांग की गई है। किसी पर रैयत के द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदिका नीता चौबे, पति-इन्द्रदेव चौबे के विरुद्ध आपत्ति नहीं दिया गया है तथा किसी भी प्राधिकार द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 की अनुसूची-V के अनुसार निदेशित अयोग्यताओं के आलोक में अयोग्य मानने का अनुरोध नहीं किया है या प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-5 तथा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियम 1950 की अनुसूची-V के आलोक में आवेदिका नीता चौबे, पति-इन्द्रदेव चौबे, सा०-रंगाईचक, अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा को मौजा-रंगाईचक नं०-167 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित सुरक्षित जमा के आलोक में एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 की धारा-7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित।

Pam
6.12.18

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Pam
6.12.18

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Scan
Bande Kringal
Ad
6/12/18